अक्टूबर में चलेगा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान : अतिरिक्त मुख्य सचिव

राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930 से प्रदेश में लगेगी साइबर क्राइम पर लगाम

जयपुर। प्रदेश में त्योहारों के सीजन के चलते ऑनलाइन ठगी एवं अन्य साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराधों से रोकथाम के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री भास्कर ए. सावंत ने राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930, साइबर सुरक्षा जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभाग को एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अक्टूबर माह में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिससे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति तक इस हेल्प लाइन नं. 1930 की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

- **साइबर अपराधों के विरूद्ध लड़ाई में ऊर्जा, पीएचईडी, शिक्षा, जनसंपर्क विभाग, बैंक सहित सभी विभाग एकजुट**

अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में साइबर ठगी से रोकथाम एवं साइबर जागरूकता को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे।

शासन सचिवालय में साइबर ठगी से रोकथाम एवं साइबर जागरूकता को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।

उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को शहर के प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नं. 1930 और साइबर अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरुकता के लिए होर्डिंग्स लगवाने, जिलों में सोशल मीडिया जैसे इस्ट्राठाम, फेसबुक एवं एक्स हैण्डलस पर स्थानीय इंफलुएसर्स के साथ मिलकर प्रचार-प्रसार, ऊर्जा एवं पीएचईडी विभाग को उपभोक्ता बिलों पर 1930 हेल्प लाइन नम्बर का प्रकाशन, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक संघों के साथ बैठक आयोजित कर साइबर सुरक्षा जागरूकता पहलुओं जैसे ओटीपी, एटीम पासवर्ड साझा नहीं करना, अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करने, अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने, डाटा प्राईवेसी, डिजिटल पेमेंट सेफ्टी आदि से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरुक करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर कलक्टर एवं एसपी को अपने जिले के शीर्ष बैकों, व्यापारी संघों के साथ बैठक आयोजित कर आमजन को हैल्प लाईन नं. 1930 के बारे में जागरूक करने एवं अन्य साइबर सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव श्री रवि कुमार सुरपुर, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री महेंद्र कुमार खींची, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री सचिन मित्तल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) डॉ. गोरधन लाल शर्मा सहित ऊर्जा, पीएचईडी, उपभोक्ता मामले एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

मिलने का झांसा दे मूकबधिर लड़की से दुष्कर्म

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट में रहने वाली एक मूकबधिर लड़की के गलत नंबर पर वीडियो कॉल लग गया। जिसके बाद अज्ञात बदमाश ने पीड़िता से इशारों में बात कर उसे मिलने का झांसा देकर अकेले में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर बदमाश ने किसी को ये बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की गुमशुम रहने लगी तो परिजनों ने वजह पूछी। जिसके बाद पीड़िता ने इशारों के माध्यम से परिजनों को आपबीती सुनाई । घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित पिता ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।पुलिस ने बताया कि पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी मूकबधिर बेटी से 10 दिन पहले गलत नंबरों पर वीडियों कॉल लग गया था। जिसके बाद आरोपी अज्ञात लड़के ने इशारो में लड़की से बात की। जिसके बाद आरोपी ने दो -तीन बार वीडियो कॉल किया। शातिर बदमाश ने इशारो के माध्यम से लड़की को मिलने का झांसा देकर हाट बाजार बुलाया। जहां से आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर एक होटल में ले गया। आरोपी ने होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पिता को वारदात की जानकारी मिलने के बाद उन्होने थाने पहुंच अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

गोविंद देवजी मंदिर में पंच कुंडीय दुर्गा-गायत्री महायज्ञ कल

जयपुर। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में रविवार को सुबह आठ से दस बजे तक शक्ति साधना महोत्सव-2025 का आयोजन किया जाएगा। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में ठाकुर श्री राधा गोविंद देवजी, देवमाता गायत्री, मां दुर्गा और गुरु सत्ता के षोडशोपचार पूजन के बाद पंच कुंडीय दुर्गा गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सहित किसी भी तरह की अशक्ति को दूर कर शक्ति अर्जन के लिए दुर्गा गायत्री महामंत्र गिरिजायै विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् के साथ आहुतियां प्रदान की जाएंगी। गोविंद देवजी मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि यज्ञ निशुल्क है। सभी आवश्यक सामठी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यज्ञ का संचालन गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी की टोली संपन्न कराएगी। जो लोग घरों पर गायत्री मंत्र या अन्य मंत्र का जाप कर रहे हैं।

शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्ग के 12193 कार्मिकों को मिली पदोन्नति

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयनित हुए कार्मिक

जयपुर । राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अजमेर में आयोजित विभागीय पदोन्नित समिति (डीपीसी) की बैठक में वर्ष 2025-26 हेतु अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक तथा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु उप-प्राचार्य पदों की नियमित डीपीसी में कुल 11,886 कार्मिकों का चयन किया गया।

इसी प्रकार विभिन्न संवर्गों की रिव्यू डीपीसी में भी चयन किया गया, जिनमें द्वितीय श्रेणी अध्यापक से प्राध्यापक पद पर 205 कार्मिक, छाया पद प्राचार्य पर 12, छाया पद प्राध्यापक पर 14 तथा प्राचार्य रिव्यू डीपीसी के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रकरणों में 2 कार्मिक शामिल रहे। समठा रूप से विभाग में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं उप-प्राचार्य पदों की नियमित डीपीसी तथा प्राध्यापक (विभिन्न विषय-रिव्यू), छाया पद प्राचार्य एवं प्राध्यापक तथा प्राचार्य (रिव्यू) सहित कुल 12,193 कार्मिक पदोन्नित से लाभान्वित हुए हैं।

उक्त डीपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा मनोनीत माननीय सदस्य प्रो. (डॉ.) अय्यूब खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें सदस्य सचिव निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान श्री सीताराम जाट, कार्मिक विभाग से मनोनीत श्री सैयद सिराज अली जैदी तथा शासन द्वारा नामित संयुक्त शासन सचिव श्री मनीष गोयल सदस्य के रूप में सम्मिलित रहे।

ये पदोन्नितयां राज्य की शिक्षा व्यवस्था में रिक्त पदों की पूर्ति एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम हैं। शिक्षामंत्री श्री मदन दिलावर एवं शासन सचिव, शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने पदोन्नत अधिकारियों व शिक्षकों को बधाई देते हुए उनसे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आ ान किया।

श्री मदन दिलावर, शिक्षामंत्री राजस्थान ने कहा कि शिक्षा विभाग के 12,193 कार्मिकों की पदोन्नित राज्य सरकार की शिक्षण नेतृत्व में समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं सभी नव पदोन्नत कार्मिकों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये सभी कार्मिक प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-13/2025/डी-2122 दिनांक-26.09.2025

विज्ञप्ति

सार्वजनिक को सूचित किया जाता है इस कार्यालय में जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या एच-204 क्षेत्रफल 200.00 वर्गमीटर की लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु सुश्री जयश्री यादव एवं सुश्री राज्यश्री यादव पुत्रीयान स्व. श्री रूपनारायण यादव द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड की छायाप्रति के आधार पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
आवंटित भूखण्ड की लीजडीड जविप्रा द्वारा दिनांक 21.09.2010 को श्री गुलाब चन्द कुलदीप पुत्र श्री प्रभुदयाल कुलदीप के पक्ष में जारी की गयी थी। श्री गुलाब चन्द कुलदीप पुत्र श्री प्रभुदयाल कुलदीप द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2010 को श्रीमती अजवानी बाई पत्नी श्री सरदार सिंह को किया गया है। श्रीमती अजवानी बाई पत्नी श्री सरदार सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2023 को श्रीमती नीलम मीना पत्नी श्री बबलू राम मीना को किया गया है। श्रीमती नीलम मीना पत्नी श्री बबलू राम मीना द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2024 को सुश्री जयश्री यादव एवं सुश्री राज्यश्री यादव पुत्रीयान स्व. श्री रूपनारायण यादव के पक्ष में किया गया है।
अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड की छायप्रति के आधार पर यदि किसी संस्था/व्यक्ति/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा 7 दिवस पश्चात भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/687 चूंकि प्रार्थी श्री AMIT KUMAR JAIN 122 SHREE GOPAL NAGAR MAHESH NAGAR KE PASS JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास गुरूकुल शिक्षा समिति 122 SHREE GOPAL NAGAR MAHESH NAGAR KE PASS JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 03.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/691 चूंकि श्री ARUN KUMAR JAIN 122 SHREE GOPAL NAGAR GOPALPURA MAHESH NAGAR THANA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास वारेन शिक्षा संस्था 50A JANAKPURI-I IMLI PHATAK JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/692 चूंकि श्री HANS KUMAR BRAHM BHATT, JAGO KA MOHALLA NANGAL SOOSAWATAN JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नमस्ते भारत फाउण्डेशन 66A BHOMIYA NAGAR EXTE JHOTWARA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/697 चूंकि श्री MANOJ KUMAR AGARWAL 16 AGARSEN COLONY BRAHAMPURI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास डीएवी मान्टेसरी स्कूल समिति, जयपुर, 16 AGARSEN COLONY BRAHAMPURI JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया
मैं जय मिश्रा पुत्र छात्रपाल मिश्रा मेरे 10वीं क्लास की ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि केवी-2, जयपुर की थी कहीं गुम हो गई मिलने पर सूचित करें।- 91-8107176471

प्लॉट नंबर ए-23, हरिओम नगर, बांसखो, आगरा रोड का सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति का मूल पट्टा खो गया है। मिलने पर कृपया सूचित करें। संपर्क श्रीमती ललिता देवी पत्नि श्री भगिरथ सिंह, मकान नंबर 4921, मठ. का कुआँ, केजीबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। 8209781706

यह कि हमारा पैतृक पंजीकृत विक्रय पत्र जो कि खसरा सं. 899 का था। जो कि मुरली पुत्र गणेश के द्वारा हनुमान पुत्र किशना जाति अहीर के नाम से 60 फुट X 60 फुट का पंजीकृत विक्रय पत्र था। जो कि गुम हो चुका है काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला है। अतः उक्त पट्टा किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे 6375029659 नम्बर पर सम्पर्क करें।

मेरे भूखण्ड संख्या FLAT NO. E5/GF/1 योजना वसंतकुंज खसरा नंबर (3/1, 5, 7 से 20, 2, 3/1, 24, 25, 25, 50/1) जेडीए पट्टा साईट प्लान और संलग्न स्टाम्प पेपर (समस्त मूल दस्तावेज) कहीं गुम गये है मो. 9887045998

नाम परिवर्तन
मैंने अपनी पुत्री का नाम पूर्वी केवलानी (Purvi Kevlani) से बदलकर पूर्वी केवलानी (Poorvi Kewlani) पुत्री सुनील केवलानी (Sunil Kewlani) माता स्वाति केवलानी (Swati Kewlani) रख लिया है। भविष्य में इसे पूर्वी केवलानी (Poorvi Kewlani) के नाम से जाना जावें। निवासी 3/437 मालवीय नगर जयपुर

मैंने मरे पुत्र का नाम रहमान कुरैशी एवं अब्दुल रहमान से बदल कर अब्दुल रहमान कुरैशी पुत्र मोईनुद्दीन कुरैशी रख दिया है भविष्य में उसे अब्दुल रहमान कुरैशी के नाम से जाना पहचाना जावें। 147, धन्नादास की बगीची, आदर्श नगर, जयपुर

मैं, भवानी शंकर भाटी पुत्र स्व. बस्तीराम, निवासी 11-ए, कल्याणजी की कोठी, शिव कॉलोनी, हरिमार्ग, टोंकरोड, जयपुर। मेरे दसवी की अंकतालिका एवं पासपोर्ट में मेरा नाम भवानी शंकर गलत है, मेरे आधार अनुसार सही विवरण भवानी शंकर भाटी पुत्र स्व. बस्तीराम है। भविष्य में मुझे सही विवरण से जाना जाए।

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283
फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rssjaipur@gmail.com
क्रमांक :- F.8/T.C./B.A.2024-25/65(XI-I)/ Raj-Kaj Ref. 17982999 दिनांक :- 25/09/2025
निविदा सूचना संख्या 50/2025-26
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से के एल सैनी स्टेडियम-मानसरोवर, जयपुर में श्रवहहपदह ज्तंबा निर्माण कार्य हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों से ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व www.rssc.in पर देखी जा सकती है। UBN No. : RSC2526WSOB00052
राज.संवाद/सी/25/10906 सचिव

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)
लालसोट रोड दौसा :- 303303
'फोन व फैक्स': 01427-220054 ई-मेल:- dausa.jaipur@yahoo.com
क्रमांक न.प.दौ./2025-26/3676 दिनांक 24.09.2025
निःशुल्क प्रेस नोट
स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत नगर परिषद दौसा में सफाई मित्रो स्वास्थ्य की जॉच हेतु सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन दिनांक 24.09.2025 को संस्कृत स्कूल लालसोट रोड शहरी सेवा शिविर में किया गया शिविर के अन्तर्गत महिला एवं पुरूष सफाई मित्रो के स्वास्थ्य की जॉच एवं उचित उपचार किया गया। चिकित्सीय परामर्श की सुविधा प्रदान की आयुक्त कमलेश कुमार मीना ने स्वच्छता मित्रो को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया सफाई कार्यो के दौरान सावधानी बर्तने की बात कही इस मौके पर सभापति महोदया श्रीमती कल्पना जैमन, अधिशाषी अभियन्ता कैलाश चन्द मीना, वरिष्ठ नगर नियोजक नरेश बैसला, राजस्व अधिकारी शमीम बानो सफाई निरीक्षक रामप्रकाश मीना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी अभियन्ता अशोक कुमार मीना, एवं समस्त नगर परिषद कर्मचारी मौजूद रहें।
राज.संवाद/सी/25/10948 आयुक्त

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, फुलेरा जिला जयपुर
क्रमांक-न.पा.फु./2025-26/1709 दिनांक-26.09.2025
आपत्ति सूचना
एतद् द्वारा हितबद्ध व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने लीज फ्री होल्ड अन्तर्गत आवासीय पट्टा चाहने हतु इस कार्यालय में आवेदन किया है।

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	स्थान	क्षेत्रफल वर्गगज	प्रयोजनार्थ
1	श्रीमती सजन दवी पत्नि श्री पुरूषोतम शर्म	आवासीय भूखण्ड नं. 21 वाके चित्रगुप्त नगर फुलेरा	111.11	लीज फ्री होल्ड अन्तर्गत आवासीय पट्टा
2	श्रीमती कमला सैनी पत्नि श्री चिरंजी लाल	आवासीय भूखण्ड नं. 20 वाके चित्रगुप्त नगर फुलेरा	183.33	लीज फ्री होल्ड अन्तर्गत आवासीय पट्टा

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार लीज फ्री होल्ड के अन्तर्गत आवासीय पट्टा/ईजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मयाद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल, फुलेरा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका किशनगढ़बास
प्रारूप-13
नियम 13(2) दखिए
शहरी सेवा शिविर-2025 नगरपालिका किशनगढ-बास, खैरथल-तिजारा
क्र.सं.2450 दिनांक-26.09.2025
लोक सूचना
अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न राजस्व गॉव के निम्न खसरा नम्बरान-
राजस्व ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास-खसरा नं. 404, 147, 622, 247, 1021/505, 523, 320/839
राजस्व ग्राम किशनगढबास तहसील किशनगढबास-खसरा नं. 1002, 1023, 1024, 895, 890, 992, 958, 959, 967, 966, 969, 970/2, 970/3, 971
तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा में स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तिया के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन किये जाने के दायी है। अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 07 दिन की भीतर-भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लगमों से मुक्त निहित किया जा सकें। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2025 (वर्ष) के 09 (मास) के 26वें दिन की जारी की जाती है।
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका किशनगढबास
(खैरथल-तिजारा)

आम सूचना सर्वसाधारण एवं आम खास को सूचित किया जाता है हम रामनिवास बाथम पुत्र रामचन्द्र बाथम एवं श्रीमती मीरा देवी पत्नि रामनिवास बाथम निवासी 17, गोपी कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर के रहने वाले है। हमारा पुत्र विकास बाथम एव उसकी पत्नी आरती उर्फ रिया हमारे कहने सुनने में नहीं है एवं खिलाफ है जो कि अन्य लोगों की बातों में आकर हमसे लड़ाई झगड़ा करते है जिस कारण हम विकास बाथम एवं उसकी पत्नी आरती उर्फ रिया को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा इनके साथ हमारा कोई भी पारिवारिक रिश्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ हमारा नाम लेकर व विश्वास में लेन-देन करता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः सूचित रहे।
रामनिवास बाथम, मीरा देवी बाथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 16224/25
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम शिवम संगत पुत्र श्री स्व. शंकरलाल जाति.... विवाद स्थान बी-11, इन्द्रा नगर, झालाना डूंगरी, कच्ची बस्ती, जवाहर नगर, जयपुर
मृतक शंकर लाल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 29.09.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम शंकर लाल पुत्र स्व. श्री सागर मल जाति...निवासी बी-11, इन्द्रा नगर, झालाना डूंगरी, कच्ची बस्ती, जवाहर नगर, जयपुर-302004 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 19 माह 08 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 19 माह 08 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक शंकरलाल का क्रमांक 102567 के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 16225/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम पार्वती देवी पत्नि स्व. माणक चन्द जाति...विवाद स्थान रतन नगर चूरू हाल वार्ड नं. 06 महाराणा प्रताप चौक, सादुलपुर, तह. राजगढ जिला चूरू
मृतक स्व. माणक चन्द शर्मा (जांगिड़) की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 29.09.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. माणक चंद पुत्र स्व. श्री शंकर लाल शर्मा जाति शर्मा (जांगिड़) निवासी 1026-बी, रानीसती नगर, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 09 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 08 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतक स्व. श्री माणक चन्द के नाम प्रा.पत्र में वर्णित लॉकर व अन्य दस्तावेज व चल सम्पत्तियों बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

WORLD TOURISM DAY 2025
TOURISM